

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 27 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री अमित कुशवाहा, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हों, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2784-89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी / उन्नाव।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मैनपुरी / उन्नाव।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

Uda
28.7.16
(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री विवेक कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हों, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2791-96
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा / भदोही।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा / भदोही।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

Ud
29.7.16
(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्राकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 27 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री सतीश कुमार, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।


1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012 @gmail. com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्राकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/27/8-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद / बस्ती।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद / बस्ती।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।


(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री ब्रह्मदेव श्रीवास्तव, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्हीं भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012 @gmail. com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(जी0के0कुरील)

निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2711-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर / चन्दौली।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर / चन्दौली।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

4/10
29.7.16

(उमेश सिंह यादव)

संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

